फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला–श्रीगंगानगर

रणजीत बनाम शंकरलाल आदि

किस्म मुकदमा:–88 आर0टी0ए0 प्रकरण संख्या:–250/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.01.2024	वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्व यह वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय मे प्रस्तुत किया संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है, कि वादी व प्रतिवादीगण संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य है तथा परस्पर सहदायिकी एवं सहअंशदायी है। प्रतिवादी सं. 1 के नाम से एकल खाता की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील सूरतगढ़ के चक 11 एसपीडी–बी के खाता सं. 43 के प.नं. 207/13 के किला नं. 1/1, 1/3, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6 ता 9, 10/1, 12/1, 13 ता 17, 18/1, 19/1, 23/1, 24, 25, प.नं. 207/21 के किला नं. 1/1, 1/2, 2/3, 2/4, 9 ता 11, 12/1, 12/2, 22 कुल तादादी 5.554 हैक. मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वाद पत्र की दफा 3 मे प्रतिवादी सं. 1 के नाम वर्णित कृषि भूमि पूर्व मे वादी के दादा श्री रामचन्द के नाम से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी जिनके देहानत के पश्चात उक्त कृषि भूमि उनके वारिसों को ओद हुई। इस प्रकार प्रतिवादी सं. 1 के नाम वर्णित कृषि भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमे वादी का जन्म से हक व हिस्सा निहित हो चुका है अर्सा दराज पूर्व वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य पारिवारिक सदस्यों ने प्रश्नगत कृषि भूमि का अच्छी मंदी व काश्त की सहुलियत के हिसाब से घरा घरू बंटवारा करवा दिया और घरू बंटवारा के समय वादी व प्रतिवादी सं. 1–2 प्रत्येक को 1/3–1/3–1/3 हिस्सा प्राप्त हुआ और इसी अनुसार वादी व प्रतिवादी सं. 1–2 काबिज काश्त हुए। वादी का कब्जा वाद पत्र की दफा 3 मे प्रतिवादी सं. 1 के नाम वर्णित कृषि भूमि मे से 1/3 हिस्सा पर कब्जा घरू बंटवारा के समय ही बिना किसी वाद विवाद के चला आ रहा है तथा वर्तमान मे भी वादी ने फसल काश्त की हुई है लेकिन वर्तमान राजस्व राजस्व अभिलेख मे वादग्रस्त कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम से दर्ज होने से वादी की हकूक खातेदारी पर विपरित असर पड़ता है। इसलिए वादी वाद पत्र की दफा 3 मे प्रतिवादी सं. 1 के नाम वर्णित कृषि भूमि मे से 1/3 हिस्सा कृषि भूमि की घोषणा करवाने का अधिकारी हैं। वादी ने प्रतिवादीगण से कई दफा कहा कि वे वादी का मुताबिक घरू बंटवारा एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि की घोषणा करवा देवे तो प्रतिवादीगण कुछ दिन तो टालमटोल करते रहे, परन्तु आज से 5 दिवस पूर्व प्रतिवादीगण ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया है, बस यही वाद हेतूक है। वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे। वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया वादी एंवम् प्रतिवादीगण के मध्य लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा होनें के कारण न्यायालय मे उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा पढ़ने समझने के बाद हस्ताक्षर किये। वादी की पहचान श्री हीरालाल बिरथलिया अधिवक्ता तथा प्रतिवादीगण की पहचान श्री अमरजीत सिंह अधिवक्ता द्वारा किये जाने पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के कथन किया गया कि उपरोक्त अनवान सदर के प्रकरण मे दोनो पक्ष एक ही परिवार के सदस्यगण है। दोनो पक्षों द्वारा कुछ दिन पूर्व किये गये पारितवारीक समझौते अनुसार व परिवार के प्रमुख रिश्तेदारों के प्रोत्साहन से परस्पर मुकदमेबाजी नहीं होने के लिए स्वेच्छा पूर्ण लोक अदालत की भावना से राजीनामा कर लिया है। प्रतिवादी सं. 1 के नाम वर्णित कृषि भूमि वाके चक 11 एसपीडी–बी के खाता सं. 43 के प.नं. 207/13 के किला नं. 1/1, 1/3, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6 ता 9, 10/1, 12/1, 13 ता 17, 18/1, 19/1, 23/1, 24, 25, प.नं. 207/21 के किला नं. 1/1, 1/2, 2/3, 2/4, 9 ता 11, 12/1, 12/2, 22 कुल तादादी 5.554 हैक. मे वादी व प्रतिवादी सं. 2 प्रत्येक को 1/3 हिस्सा प्राप्त हुआ है। वादग्रस्त कृषि भूमि वादी व प्रतिवादीगण की पैतृक कृषि भूमि है। प्रथम पक्ष / वादी का वाद पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तो पक्षकारान को कोई उजर एतराज नही होगा। राजीनामा पक्षकारान ने अपनी सहमति से किया है जिसे पक्षकारान ने पढ़, सुन समझ तथा पूर्ण रूप से समझ मे आ जाने के बाद सही होना माना। लिहाजा राजीनामा पेश कर निवेदन है कि वाद वादीगण/ प्रथम पक्ष का वाद पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जावे। प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य राजीनामा होनें पर किसी प्रकार का प्रतिवादी नही होने के कारण प्रकरण मे तनकीयात कायम नही होने से उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई, दौरानें बहस विद्वान अधिवक्तागणों ने वाद एवम् राजीनामा मे दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया। इस सम्बंध मे आर.आर.डी. 1981 पेज 512 आर.टी.ए. की धारा 40–53, 38–39–40, आर.आर.डी., 1966 पेज 71 ए.आई.आर. 1976 (एससी) पेज 807 व 178	

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.01.2024	आर.आर.डी. पेज 219 आर.आर.डी. 1975–478, ए.आई.आर. 1966 (एससी) 432 आर.आर. डी. 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आर.टी.ए. की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है। राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यु) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवम् आदेश 23 नियम 3 सीपीसी मे समझौता के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के पत्रांक प. 5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषकों में जोत के विभाजन की सहमति हो जाये तो ऐसी सहमति के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उत्तराधिकारी विधि के अनुसार पुत्र को अपनें पिता की पैतृक सम्पत्ति मे जन्म से ही अधिकार है। इसलिए पुत्र अपनें पिता की पैतृक सम्पत्ति में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है। ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय नें पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारीक समझौता धोखा धडी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारीक समझौते पक्षकारान द्वारा न्यायालय मे उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो। मुल्ला के हिन्दु कानून की धारा 221–22 के अनुसार संयुक्त परिवार की सम्पत्ति पर भी पुत्र पुत्रीयों का जन्म से अधिकार होता है। इसके अतिरिक्त धारा 227 के अनुसार संयुक्त हिन्दु परिवार का कोई भी सदस्य स्वयं अर्जित सम्पत्ति को संयुक्त परिवार की सम्पत्ति मे शामिल कर सकता है। इस कारण उक्त वर्णित भूमि संयुक्त सम्पत्ति की श्रेणी मे आती है। जिसमें सभी हिन्दु परिवार के सदस्यों का समान हक है एवम् बंटवारा करवा सकता है। अपने कथनों की पुष्टि हेतु आर.आर.डी. 1981 के पेज 512 एवम् आर.आर.डी. 1978 पेज 375 (एच.सी) डी.एन.जे. (एससी) पेज 2023 पेज 29, आर.आर.डी. 1998 पेज 644, आर.आर.डी. 1995 पेज 529 पेश किये। हमने वादी एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का सम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि प्रतिवादी सं. 1 के नाम वर्णित कृषि भूमि वाके चक 11 एसपीडी–बी के खाता सं. 43 के प.नं. 207/13 के किला नं. 1/1, 1/3, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6 ता 9, 10/1, 12/1, 13 ता 17, 18/1, 19/1, 23/1, 24, 25, प.नं. 207/21 के किला नं. 1/1, 1/2, 2/3, 2/4, 9 ता 11, 12/1, 12/2, 22 कुल तादादी 5.554 हैक. जो प्रतिवादी सं. 1 के नाम से दर्ज राजस्व अभिलेख खातेदार भूमि है जो जाद्दी जायदाद होनें के कारण उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार लोक अदालत की भावना से वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। **–:: आदेश ::–** वादी एवम् प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन करने तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे प्रतिवादी सं. 1 के नाम वर्णित भूमि चक 11 एसपीडी–बी के खाता सं. 43 के प.नं. 207/13 के किला नं. 1/1, 1/3, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6 ता 9, 10/1, 12/1, 13 ता 17, 18/1, 19/1, 23/1, 24, 25, प.नं. 207/21 के किला नं. 1/1, 1/2, 2/3, 2/4, 9 ता 11, 12/1, 12/2, 22 कुल तादादी 5.554 हैक. मे से वादी को 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 2 को 1/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होनें की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी /गैरमुमकिन/गैर खातेदार) पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो। आदेश आज दिनांक 03.01.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

(ओ021 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

–::परचा डिक्री::–

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

(बइजलास :–सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.)

–:: अनवान ::–

1.रणजीत पुत्र शंकरलाल जाति जाट साकिन 11 एसपीडी–बी सरदारपुरा खर्था तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज0)

–वादीया

बनाम

1.शंकरलाल पुत्र रामचन्द्र जाति जाट साकिन 11 एसपीडी–बी सरदारपुरा खर्था तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज0)

2.मनोज कुमार पुत्र शंकरलाल जाति जाट साकिन 11 एसपीडी–बी सरदारपुरा खर्था तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज0)

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र धारा–88 आर.टी. एक्ट मुकदमा नं. 250 वर्ष 2023 यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादी श्री हीरालाल बिरथलिया व वकील प्रतिवादीगण श्री अमरजीत सिंह संधू के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि:–

वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे प्रतिवादी सं. 1 के नाम वर्णित भूमि चक 11 एसपीडी–बी के खाता सं. 43 के प.नं. 207/13 के किला नं. 1/1, 1/3, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6 ता 9, 10/1, 12/1, 13 ता 17, 18/1, 19/1, 23/1, 24, 25, प.नं. 207/21 के किला नं. 1/1, 1/2, 2/3, 2/4, 9 ता 11, 12/1, 12/2, 22 कुल तादादी 5.554 हैक. मे से वादी को 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 2 को 1/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होनें की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी /गैरमुमकिन/गैर खातेदार) पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे।

नोज.....ग.....मुबलिग.....ग.....बाबत.....ग.....खर्चा इस मुकदमें मे मय सूद बशरह.....ग..... फस्दों की पालना.....ग.....आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 03.01.2024 को जारी की गई।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

(सन्दीप कुमार)

उपखण्ड अधिकारी

सूरतगढ़ (राज.)